



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoeffolk@gmail.com

पत्र सं० 8बी/06/72/2018/एफ0सी0/455

दिनांक : 08.10.2018

सेवा में,
विशेष सचिव (वन),
उत्तर प्रदेश शासन,
बापू भवन, लखनऊ।

(ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Others/33064/2018)

विषय: मुरादाबाद-हरिद्वारा-देहरादून (मुरादाबाद-कांठ मार्ग) एस0एच0-49 किमी0 14 के चैनैज 13.552 से 13.600 की बांयी पटरी पर ग्राम लदावली के खसरा सं०-242 में सिटी एनर्जी लि० द्वारा विकसित किए जा रहे सी0एन0जी0 रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.079664 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 7 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ: विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक-पी-152/14-2-2018-800(143)/2018 दिनांक-09.04.2018.

महोदय,

उपरोक्त विषय का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयवस्तु प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी है।

प्रकरण में विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना प्रस्तुत करें ताकि आगे की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. In DSS analysis, the CA land falls within Hastinapur Wildlife Sanctuary, where as, in the land suitability certificate, it has been mentioned as Revenue Land. Clarification may be submitted.
2. The land suitability certificate should be in prescribed format.

भवदीय,

(के० के० तिवारी)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ० प्र०।
2. मुख्य वन संरक्षक, मुरादाबाद वृत्त मुरादाबाद।
3. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, मुरादाबाद।
4. जिलाधिकारी, मुरादाबाद।
5. उप महाप्रबंधक सिटी एनर्जी लि०, मुरादाबाद।
6. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
7. आदेश प्रत्रावली।

(के० के० तिवारी)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक-770 /मुरादाबाद/33064/2018, दिनांक, लखनऊ, अक्टूबर 10, 2018

प्रतिलिपि वन संरक्षक, मुरादाबाद को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा अपेक्षित सूचना एवं तत्सम्बन्धी अभिलेख इस कार्यालय को शीघ्रतिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, मुरादाबाद को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा अपेक्षित सूचना एवं तत्सम्बन्धी अभिलेख अपने वन संरक्षक को शीघ्रतिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि उप महाप्रबंधक, सिटी एनर्जी लि०, मुरादाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(पंकज मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ० प्र०, लखनऊ।